न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—82/2019/225 आर.टी.एक्ट (2019/00082)

1. हरिशंकर पुत्र रामराय, जाति महाजन, निवासी माणक चौक गणेश जी के मन्दिर के पास, केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लाड कुमारी पत्नी महेन्द्र जाट
2. फोरन्ता पत्नी सुरेश जाट
   समस्त निवासी मण्डा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
3. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई शाखा, केकड़ी, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर।
5. सूजरदेवी पत्नी रमेश चंद विजयवर्गीय, निवासी केकड़ी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, राजस्व वाद संख्या 151/2017

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. शिव प्रकाश चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 3, 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—22.9.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 151/2017 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 13.02.2019 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट की स्वयं की खातेदारी आराजीयात पर आवगमन हेतु रास्ते दिलाए जाने बाबत आवेदन किया जो कि

अपीलांट ने सिंचित करने के उद्देश्य से अपीलांट द्वारा बनाई गई है जिस पर बरसात एंव नहर का पानी भरा रहता है जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को सिंचाई करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। उक्त आराजीयात पर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए थे। इन उक्त वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 209 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म नम्बर 211 रकबा 3.00 हैक्टर वाके ग्राम मण्डा अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात है। इसी प्रकार आराजीयात खसरा संख्या 212 रकबा 3.05 हैक्टर 707 रकबा 0.43 हैक्टर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजीयात है। उपरोक्त आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा संख्या 209 व 211 की पूर्वी दिशा की मेड पर रास्ता खुलवाए जाने बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजीयात खसरा संख्या 212 व 707 में आने जाने के लिए खसरा संख्या 209, 211 में से 10 फुट रास्ते की आवश्यकता है। अतः रास्ता दिलवाया जाए। उपरोक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं पेशी दिनांक 13.02.2019 नियत की गई। उसी दिन पटवारी हल्का से प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 13.02.2019 को ही मंगाई जाकर गैर मुमकिन पाल से खसरा संख्या 209 की पूर्वी मेड से होकर पांच मीटर अर्थात् 16 फीट रास्ता खसरा संख्या 212 की मेड तक दिए जाने के आदेश पारित किए गए है जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारी काश्तकारी के द्वारा स्वयं की आराजीयात पर आवगमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजीयात से रास्ता दिलाए जाने बाबत आवेदन किया जा सकेगा। उक्त बाबत धारा 251ए में प्रावधित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के उपरांत भी गैर मुमकिन पाल की आराजीयात जो कि अपीलांट की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात को सिंचित करने के उद्देश्य से अपीलांट द्वारा बनाई गई है, जिस पर बरसात एवं नहर का पानी भरा रहता है, जो कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को सिंचाई करने हेतु उपयोग में लाया जाता है। धारा 16 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् खसरा नम्बर 209 जो गैर मुमकिन पाल होकर प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है। उक्त आराजीयात पर होकर रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए गए थे, जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। उक्त आराजीयात किसी भी रूप में रास्ते के लिए दिया जाना काश्तकारी अधिनियम की के प्रावधानानुसार प्रावधित नहीं है। इसके बावजूद धारा 251ए की मंशा के विपरीत उक्त गैर मुमकिन पाल की आराजीयात में से रास्ता स्वीकृत किए जाने में त्रृटि कारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02..2019 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2019 डी.एन.जे.(रेवेन्यू) पेज

63, आर.आर.टी. 2106(2) पेज 1281, आर.आर.टी. 2016 (1)पेज 649, 2018 डी.एन.जे.(रेवेन्यू) पेज 221 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किय है।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 212, 707 में आने जाने के लिए बने कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 209, 211 के पूर्वी दिशा की ओर मेड़ पर 10 फीट के रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर के अनुसार रास्ते में आई हुई भूमि का शुल्क न्यायालय में जमा कराने हेतु तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.02019 को विवादित आराजी बाबत् मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 13.02.2019 को प्रार्थना–पत्र पर नये रास्ते कायम किये जाने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण से जवाब प्राप्त कर, विधिवत मौका रिपोर्ट तलब की जाकर मौके की रिपोर्ट अनुसार विधिवत् आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 209 में से नहीं देकर खसरा नम्बर 211 में दिया गया जो किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। मौका रिपोर्ट भू–निरीक्षक व पटवारी हल्का के द्वारा तैयार की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2019 विधि सम्मत होने से अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। 2018 डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 221 में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने यह प्रतिपादित किया है कि पक्षकारो को नोटिस नही दिया –उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना नहीं की गई, संक्षिप्त जॉच रिपोर्ट विधिपूर्ण नही है। आदेश में निचले न्यायालय ने स्पष्ट अवैधता तथा प्रतिकूलता की है। हम पत्रावली के अवलोकन करने के उपरान्त उक्त न्यायिक दृष्टांत से सहमत हैं क्योंकि मौका रिपोर्ट दिनांक 13.02.2019 के अनुसार मौके पर न तो प्रार्थीगण उपस्थित हुए एव ना ही अप्रार्थीगण उपस्थित हुए यानि की बिना पक्षकारान की उपस्थिति में उक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो विधि सम्मत नहीं है। धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में न्यायालय नियम 68–69 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बनायी जानी चाहिए। उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई, उनकी कोई आपत्ति पर किसी प्रकार पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं गई है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वें उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर उनकी आपत्ति का मौके पर निस्तारण कर पुनः आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 151/2017 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2019 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करवायें तथा मौके पर ही आपत्ति का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निस्तारण करते हुए धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के सुसगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक 27.10.2022 को उपस्थित रहने के लिए पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 22.09..2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर